

मेरठ

विकास

प्राधिकरण,

मेरठ।

पत्रांक: 220/CE / एस0ई0 / 15

दिनांक: 16-02-15

:-कार्यालय आदेश:-

मेरठ विकास प्राधिकरण में विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु आमन्त्रित की जाने वाली निविदाओं हेतु पूर्व प्रचलित बिडिंग डाक्यूमेन्ट में संशोधन करते हुए उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 13-02-2015 को निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की गई है:-

- 1- निविदा की धरोहर राशि 2 प्रतिशत एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में ली जायेगी।
- 2- निविदा स्वीकृति उपरान्त असफल निविदादाता की धरोहर राशि निविदा की वैलेडिटी पिरीयड (90 दिन) समाप्ति के 28 दिनों के अन्दर वापिस कर दी जायेगी।
- 3- निविदा स्वीकृति उपरान्त सफल निविदादाता को अनुबन्ध निष्पादित करने से पूर्व टी-1 (सिंगल बिड) के कार्यों हेतु 10 प्रतिशत धनराशि की एवं टी-2 (टू-बिड) के कार्यों हेतु 5 प्रतिशत धनराशि की टेलिस्कोपिक रूप में (रु0 40.00 लाख तक 10 प्रतिशत यानि रु0 4.00 लाख शेष धनराशि पर 5 प्रतिशत) परफॉर्मेन्स सिक्योरिटी की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 अथवा शिडयूल कॉमर्शियल बैंक द्वारा जारी बैंक गारन्टी जमा कराने के पश्चात उसकी धरोहर राशि वापिस कर दी जायेगी।
- 4- कार्यों के प्रत्येक बिल में से 5 प्रतिशत की रिटेनिंग सिक्योरिटी काटी जायेगी।
- 5- कार्य समाप्ति पर अन्तिम देयक के साथ आधी रिटेनिंग सिक्योरिटी ठेकेदार को वापस कर दी जायेगी।
- 6- अवशेष आधी रिटेनिंग सिक्योरिटी व परफॉर्मेन्स सिक्योरिटी कार्य समाप्ति के एक वर्ष या डिफैक्ट लाईबिलिटी पीरियड के समाप्त होने व कार्य के सन्तोषजनक होने पर वापस की जायेगी।
- 7- निविदत्त दरें बिड की दरों से 10 प्रतिशत निम्न होने पर 0.5 प्रतिशत प्रति प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत से अधिक निम्न होने की दशा में टेलिस्कोपिक रूप में 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत अतिरिक्त परफॉर्मेन्स सिक्योरिटी जमा करनी अनिवार्य होगी जो कि अन्तिम देयक के साथ अवमुक्त की जायेगी।
- 8- अनुबन्ध निष्पादन हेतु जी0पी0डब्लू0-9 के स्थान पर लोक निर्माण विभाग में प्रचलित बिडिंग डाक्यूमेन्ट टी-1 व टी-2 लागू होगा एवं टू-बिड पद्धति पर आमन्त्रित निविदाओं के मूल्यांकन हेतु निर्धारित शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

अतः प्राधिकरण में भी लोक निर्माण विभाग में प्रचलित बिडिंग डाक्यूमेन्ट टी-1 व टी-2 लागू करने, टू-बिड पद्धति पर आमन्त्रित निविदाओं हेतु टी-2 के अनुसार प्राधिकरण में पूर्व निर्धारित सीमा रु0 25.00 लाख को रु0 40.00 लाख किये जाने तथा निविदाओं में पूर्व प्रचलित धरोहर राशि व जमानत राशि में उपरोक्त बिन्दु सं0 01 से 08 के अनुसार संशोधन करते हुए कियान्वयन किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

अधीक्षक अभियन्ता,

प्रतिलिपि

- 1-उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2-सचिव महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 3-मुख्य अभियन्ता महोदय को उनके आदेशों के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 4-अधिशारी अभियन्ता/योजना प्रभारी को अनुपालनार्थ।
- 5-अवर अभियन्ता तकनीकी को अनुपालनार्थ।
- 6-श्री शरद श्रीवास्तव, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, को प्राधिकरण की,वैबसाईड पर डालने हेतु।

अधीक्षक अभियन्ता,